भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *405
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

***405. श्री अभय कुमार सिन्हा:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में वर्तमान में जिलावार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और जिला अस्पताल कार्यशील हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिहार में नए पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों के निर्माण का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार के कई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, विशेषकर अल्प-सेवित क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार उक्त समस्या के समाधान और बिहार के अल्प-सेवित और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

28 मार्च, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.405 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या के प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। बिहार में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों का जिलावार विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम बिहार के 10322 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित कुल 1,76,573 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को संचालित करते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन में सहयोग करता है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को उन्नत करके बनाए गए हैं जिनमें व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) प्रदान की जाती है, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, प्रशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं और सबके लिए, नि:शुल्क और समुदाय के निकट उपलब्ध हैं।

कार्यशील एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाओं के फलस्वरूप लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवाएं मिल जाती हैं, जिससे उन्हें स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वास्थ्य परिचर्या की लागत में बचत होती है, सेवा प्रदाताओं की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ता और इससे स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

वित्त वर्ष 2021 से एनएचएम के तहत बिहार राज्य के लिए 28 मॉडल जिला अस्पतालों, 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), 111 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) और 696 एसएचसी के बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए मंजूरी दी गई है।

64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किए गए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के लिए

बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत कुल 1877.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पांच वर्षों (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। बिहार राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान के तहत कुल 6016.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आपातकालीन कोविड अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी तैयारी पैकेज-II (ईसीआरपी-II) के तहत, बाल चिकित्सा परिचर्या इकाइयों, बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र, प्रीफैब इकाइयों के प्रावधान द्वारा अतिरिक्त बिस्तरों की वृद्धि, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आईसीयू बिस्तरों की वृद्धि, 50 और 100 बिस्तरों वाले फील्ड अस्पतालों, रेफरल परिवहन और चिकित्सा गैस पाइपलाइन प्रणाली के साथ तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र के लिए सहायता प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए ईसीआरपी के तहत बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए कुल 818.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) सहित सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) शुरू किए गए हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, 12.37 करोड़ से अधिक परिवारों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के उद्देश्य से अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। 01.03.2024 तक, बिहार के 528 निजी अस्पतालों और 587 सरकारी अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

*****